

कार्यालय प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

क्रमांक - प. 50() / वेतन अराज / 2020 / 284.

दिनांक - 18/7/20

समस्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
प्रभारी अधिकारी / नर्सिंग अधीक्षक, एम.बी.एस. / जेकेलॉन / न्यू चिकित्सालय / रामपुरा,
प्रभारी अधिकारी शहरी / ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र,
प्रभारी अधिकारी आई टी सेल / वर्कशाप / स्टोर, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा


विषय - व्यक्तिगत सूचना (पर्सनल डिटेल) राज्य बीमा एवं पे मनेजर की साइट पर अपडेट करने बाबत।

संदर्भ - इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 1689 / 18.1.20 एवं 1790 / 19.2.20


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित क्रम में लिखे गए पत्रों द्वारा सभी अधिकारी / कर्मचारी गण से उनके स्वयं के व्यक्तिगत डॉटा / पर्सनल डिटेल, यथा नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि एवं अन्य व्यक्तिगत संबंधित जानकारी जो पे मनेजर एवं राज्य बीमा की साइट पर चाही गई है, उसे अपडेट करें। इसी क्रम में लेख है कि यदि अभी तक भी उपरोक्त जानकारी अपडेट की जानी है तो आवश्यक रूप से इसको दिनांक 22/7/2020 तक अपडेट करें। इसके अभाव में माह जुलाई, 2020 का वेतन आहरित करने में कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना है।

कृपया पत्र की पालना समयानुसार करना सुनिश्चित करावें।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
प्रभारी अधिकारी, आई टी सेल / प्रभारी निजी शाखा को पत्र को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित को प्रेषित करने हेतु।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा

कार्यालय प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंगन चिकित्सालय समूह, कोटा

क्रमांक - प.()/वेतन राज/2020/1790

दिनांक 19/9/20

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
.....विभाग,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा

विषय - पे मैनेजर एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि(SIPF) साइट पर
पर्सनल डिटेल् (मास्टर डॉटा) में संशोधन करने बाबत ।


संदर्भ - इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 1689 दिनांक 18/1/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र से आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त
कार्मिकों के पे मैनेजर तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की साइट पर पर्सनल डॉटा /
मास्टर डॉटा में यदि संशोधन होने हों तो करने हेतु सभी को निर्देशित करने हेतु आपको
लिखा गया था ।

पुनः कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि सलंगन कर
लेख है कि इसे आपके विभाग में सर्कुलेट करवाकर वांछित कार्यवाही करने हेतु सभी कार्मिकों
को दिशा निर्देश प्रदान करने का श्रम करें ताकि आगामी माहों में किसी भी कार्मिक का वेतन
आहरित करने में कठिनाई उत्पन्न न हो ।

सलंगन - उपरोक्तानुसार ।


19/9/2020

अतिरिक्त प्रधानाचार्य,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा ।

9

कार्यालय प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं नियंत्रक सलंगन चिकित्सालय समूह, कोटा

क्रमांक - प.()/वेतन राज/2020/ 1689

दिनांक - 18/1/20

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
.....विभाग,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा

विषय - पे मैनेजर पर स्वयं के मास्टर डॉटा में करैक्शन करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा से प्राप्त पत्र के अनुसार जनवरी, 2020 के वेतन को आहरित करने से पूर्व सभी कार्मिकों को किसी भी प्रकार के मास्टर डॉटा में त्रुटि होने पर उसके संशोधन करने हेतु स्वयं पे मैनेजर पर Employee Login पर जाकर संशोधन किया जाना अति आवश्यक होगा । पे मैनेजर पर कार्मिक के मास्टर डॉटा जैसे व्यक्तिगत जानकारी और बैंक संबंधित जानकारी में त्रुटि पाए जाने पर जनवरी माह का वेतन आहरित करने में कठिनाई उत्पन्न होगी ।

अतः पत्र प्रेषित कर लेख है विभागीय स्तर पर सभी कार्मिकों को यह सूचना प्रसारित करते हुए उन्हें आवश्यक, कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें ताकि जनवरी माह का वेतन समयानुसार आहरित करना संभव हो सके ।

17.1.2020

अतिरिक्त प्रधानाचार्य,
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा

कार्यालय कोषाधिकारी, कोटा

कार्मिको के मास्टर डाटा में संशोधन की प्रक्रिया :-

<p>1 कार्मिक का स्वयं का नाम, पिता का नाम एवं जन्म दिनांक में परिवर्तन की प्रक्रिया SSO Login पर की जावेगी</p> <p>i). स्वयं का नाम एवं पिता का नाम स्वयं के SSO Login पर संशोधित किया जावेगा</p> <p>ii). जन्म दिनांक SSO DDO Login पर किया जावेगा</p> <p>* उक्त प्रक्रिया SSO DDO Login से भी की जा सकती है।</p>	<p>sso.rajasthan.gov.in</p> <p>↓</p> <p>Employee Login</p> <p>↓</p> <p>SI PF Portal</p> <p>↓</p> <p>Transaction</p> <p>↓</p> <p>Edit Employee Information</p> <p>31/6/20</p>
--	--

कार्मिक का नाम, पिता का नाम SSO Employee Login व जन्म दिनांक SSO DDO Login पर सही करने के उपरान्त Paymanager Employee Login पर दर्शित होगा। Paymanager Employee Login से संबंधित Correction Request DDO को Forward की जावेगी DDO उस Request को Approve करके HOD को Forward करेगा।

<p>2 कार्मिक के मास्टर डाटा में समस्त संशोधन की प्रक्रिया Paymanager Employee Login पर</p>	<p>Paymanager2.raj.nic.in</p> <p>↓</p> <p>Employee Login</p> <p>↓</p> <p>Master Data Request</p> <p>↓</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Update Emp pay date - 2. Employee Status Request - 3. Employee Scheme Report - 4. Update No detail Request - 5. Personal Data Request - 6. Bank Account Update - 7. Personal Details Update - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जहाँ कहीं दस्तावेज संलग्न की आवश्यकता हो फाईल स्कैन करके अपलोड करनी है। 2. समस्त संशोधन पश्चात Request डीडीओ को Forward की जावेगी। <p>नोट: कार्मिको के status and personal data संशोधित करने का निम्नानुसार ddo login पर विकल्प उपलब्ध है Authorization-employee detail updation में available है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Employee Status update request 2. Employee Data Update 3. Employee Paydetails update
--	--	--

उपरोक्त के पश्चात मास्टर डाटा Paymanager DDO Login पर Authrization में Employee Detail Updation में Employee Detail Approval पर दर्शित होगा जिसे डीडीओ द्वारा Approve करने के पश्चात Authrization में verify Employee Detail से e-sing कर एवं Forward किये जाने के पश्चात मास्टर डाटा HOD लेवल पर दर्शित होगा जिसे HOD (Budget Controlling Officer) द्वारा Approve किये जाने पर ही संशोधित डाटा अंतिम रूप से दर्शित होगा।

नोट :

1. डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC Dongle) दिनांक 30-06-2020 तक अनिवार्यतः डीडीओ द्वारा पै-मेनेजर पर रजिस्टर्ड किया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त संशोधन कार्यवाही पश्चात, कार्मिको का मास्टर डाटा ई-साईन करने के पश्चात दिनांक 30-06-2020 तक अनिवार्यतः HOD को Forward किया जाना सुनिश्चित करें।
3. संवैतन माह जून-2020 देय जुलाई-2020 का वेतन स्वीकृत पदों के सिस्टम पर कार्यालयवार वितरण/मैपिंग विभागाध्यक्ष स्तर पर कार्मिकों के मास्टर डेटा अधिकृत किए जाने के आधार पर ही आहरित होगा।

(डॉ.विधि शर्मा)
कोषाधिकारी, कोटा